नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

19-2-26 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उप. उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए पर बहस उभयपक्ष सुनी गई. बहस समाप्त पत्रावली की गई वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 18-3-26 को पेश हो।

प्रकरण स. 46 /2017

इन्द्राबाई बनाम बाबूलाल वगैरह

निर्णय

18-3-26. हमारे द्वारा उभयपक्षो की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए पर सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वमान अधिवक्ता ने बहस मे तर्क दिया कि वाद विषयक आराजी के पुराने खसरा नम्बर 370/2 रकबा 18 बीघा थे जिसके बन्दोबस्त से 2022 से 2041 के दौरान नये खसरा नम्बर 580 रकबा 18 बीघा कायम किये। उक्त आराजी बाबत प्रार्थीगण के पूर्वज बद्रीनाथ आ. कपरनाथ व अप्रार्थी स. 6 लगायत 9 के पिता केसरीनाथ आत्मज कपरनाथ एव अप्रार्थी सख्या 10 के पिता शम्भुनाथ के द्वारा एक राजस्व वाद स. 239/1989 अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 R.T.A के तहत कैसरीनाथ वगै. बनाम मांगीनाथ वगैरह अप्रार्थी स. 1 लगायत 4 के पिता के विरुद्ध सहायक कलेक्टर के वारन न्यायालय में दायर किया था जिसका निर्णय दिनाक 17-1-1996 मे हुआ था दावा प्रतिवादी सरव्याउपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	1 लगायत 4 के पिता के विरुद्ध डिक्री व स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 के पिता को पाबन्द किया गया था। निर्णय दिनांक 17-1-1996 के अनुसार अप्रार्थी स. 1 लगायत 4 के पिता का कोई हक अधिकार वर्णित आराजी पर नहीं रहा। प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 के पिता की मृत्यु के पश्चात फोती इन्तकाल उनके नाम तस्दीक कर दिया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 राजस्व रिकार्ड में नाम होने का फायदा उठाकर अप्रार्थी स. 5 को बेचान कर दिया गया और अप्रार्थी स. 5 ने वाद विषयक आराजी को अप्रार्थीगण 14 लगायत 17 को बेचान कर दिया गया। लेकिन निर्णय दिनांक 17-1-1996 के बाद जो हस्तान्तरण राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये गये जो प्रारम्भ से शुन्य व प्रभावहीन है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थी स. 14 लगायत 17 का नाम दर्ज होने के कारण वह जबरन ताकत के बल पर प्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा करके रहन, बय करने पर आमादा है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण साबित है और क्षति का सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रमाणीत है। प्रार्थीगण ने अपने तर्को के समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त ~~R.L.W~~ R.L.W 20 1999 (2) S.C पेज 292, R.R.D 2007 पेज 660, R.R.D. 2016 पेज 580, R.L.W 2012 (1) पेज 359, R.L.W 2014 (1) पेज 76 प्रस्तुत किये। अप्रार्थी स. 14 लगायत 17 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुए बहस मे तर्क दिया की 12 वर्ष बाद डिक्री का कोई महत्व नही होता है। प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही रहा है। अप्रार्थी स. 14 लगायत 17 जर्ये विक्रयपत्र के माध्यम से काबिज काश्त है। और

पीठासीन अधिकारी
नाखेरी (बून्दी)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राजस्व रिकार्ड में खातेदार कृषक के रूप में उनका नाम दर्ज है। रिकोर्ड खातेदार के विरुद्ध प्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नही है

हमारे द्वारा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया एव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व प्रस्तुत पूर्व न्यायिक दृष्टान्तो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 17-1-1996 का अवलोकन किये जाने पर यह स्थिति स्पष्ट होती है कि प्रार्थीगण के पूर्वजो को खातेदार घोषणा प्रदान करते हुए अप्रार्थी स. 1 लगायत 4 के पिता को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना स्पष्ट है। डिक्री दिनांक 17-1-1996 के बाद किसी प्रकार का खातेदारी अधिकार अप्रार्थी स. 1 लगायत 4 के पिता का निहित नही रहा। इसलिए अप्रार्थी स. 1 लगायत 4 के पक्ष में दिनांक 17-1-1996 के बाद राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया इन्तकाल कानूनी रूप से प्रभावहीन व शून्य है। हमारे मतानुसार दिनांक 17-1-96 को पारित डिक्री निस्पादन योग्य नही है लेकिन भारतीय मियाद अधिनियम के अनु. 136 के अनुसार प्रभावशील है, निर्णय डिक्री दिनांक 17-1-1996 के बाद जो फोती इन्तकाल अप्रार्थी स. 1 लगायत 4 के पक्ष में तस्दीक किया गया उस इन्तकाल का फायदा उठाकर अप्रार्थी स. 1 लगायत 4 ने अप्रार्थी स. 5 के पक्ष में बेचान कर दिया और अप्रार्थी स. 5 ने अप्रार्थी स. 14 लगायत 17 के पक्ष में बेचान कर दिया गया। यह हस्तान्तरण न्यायालय मतानुसार प्रारम्भ से शून्य व प्रभावहीन है निर्णय दिनांक 17-1-1996 के बाद अप्रार्थी स. 1 लगायत 4 द्वारा कब्जा सम्बन्धी कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नही किये उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का केश प्रथम दृष्टया साबित होना पाया जाता है। क्षति का सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणीत है या नही के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 तक अनुसार विवादित अराजी अप्रार्थी स. 5 के

उपखण्ड अधि... लाखेरी (बून्दी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	जर्ये नामान्तकरण सं. 412 से नाम दर्ज हुआ था जबकि प्रा० पत्र की चरण सं. 6 में वर्णित है अप्रार्थी सं. 14 लगायत 17 ने अपने आप रिकॉर्ड खातेदार में पक्षकारान के साक्ष्य उपरान्त तय होगे। दर्ज होना बताया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के हक अधिकार कानूनी रूप से मूलवाद में पक्षकारान के साक्ष्य उपरान्त तय होगे।
	लेकिन अप्रार्थी सं. 14 लगायत 17 का नाम रिकॉर्ड में दर्ज होने के आधार पर रहन, बय करने से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस कारण यदि अप्रार्थी सं 14 लगायत 17 को दौराने वाद पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थी सं. 14 लगायत 17 द्वारा वाद विषयक आराजी का रहन बय करने पर अप्रार्थी सं. 14 लगायत 17 की अपेक्षा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। इस प्रकार उपरोक्त ओर वाद बहुलता बढ जायेगी। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर क्षति का सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होना पाया जाता है।
	उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र धारा 212 आर.टी.ए. अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से दौराने वाद पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी खसरा सं. 1137 रकबा 1.30 हैक्टर ख.सं. 1138 रकबा 0.60 हैक्टर ख.सं. 1139 रकबा 0.10 हैक्टर ख.सं. 1140 रकबा 0.77 हैक्टर कुल किता-4 योग रकबा 2.60 हैक्टर ग्राम पापडी तहसील इन्द्रगढ स्थित कृषि भूमि पर से प्रार्थीगण को बेदखल जबरन कब्जा नहीं करे और न ही कब्जे में दखलनदाजी करे। अप्रार्थीगण रिकार्ड का फायदा उठाकर विवादित आराजी को रहन बय नहीं करे ऐसा न तो स्वयं करे न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)